



99/11

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1074 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 16 जून 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-फर्रुखाबाद।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रू० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1934002100114837	IFSC Code PUNB0193400	212.51

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मोहल्ला तलैया साहब जादगान वार्ड नं० 30 में रहीस के मकान से रशीद के मकान से लिक हसीन के मकान से पिन्डू घड़ी वाले के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.303
2	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 15 रकाबगंज में ए०पी०सिंह के मकान से सेवाराम के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.660
3	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	बजरिया चौकी के सामने मो०तकिया नसरतशाह आमोद कुमार शुक्ला के से रमेश ठेकेदार के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	1.706
4	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मोहल्ला अमीन खों वार्ड नं० 14 महेशचन्द्र राजपूत के मकान से रामू शाक्य के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.621
5	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०जाफरी में कल्लू फकीर के मकान से रामदीन कठेरिया के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	0.745
6	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	वार्ड नं० 15 रकाबगंज में गजराज के मकान से वासुदेव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.021
7	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ में ग्रीशबाबू के मकान से खलील के मकान होते हुये जीनत टेलर्स की दुकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.914
8	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ अख्तर अब्बास के मकान से के०के०दीक्षित के मकान होते हुये नन्हेंपाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9.104
9	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०मछली टोला फतेहगढ़ में मंजू अब्बासी के मकान से इस्लाम की दुकान होते हुये विकास मिश्रा के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.914



99/2

दूरभाष- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किता की धनराशि का प्रेषण
10	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो० बजरिया हाथपीर अली में महेन्द्र के खेत से दरगाह तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	21.516
11	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०तलैया साहब जादगान में आसिफ के मकान से नाले एवं शकील कुरैशी के मकान से नाले तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	2.931
12	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो० गुलिस्ता कालोनी फतेहगढ़ में मैन रोड से रफीक के मकान होते हुये गुड्डू के मकान से नूरे के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.461
13	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०जटवारा जदीद वार्ड नं० 33 राजू के प्लाट से सुभाष के मकान तक व रामचन्द्र के मकान से सुरेन्द्र यादव के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	5.533
14	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०गढीजान अली भीकमपुर में रामचन्द्र उर्फ कलक्टर पपड़ी वाले के मकान से श्यामसिंह छापा वाले के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.540
15	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	वार्ड सं० 24 मो०मेमरान टैगोर कालोनी फर्रुखाबाद में राजीव शाक्य के मकान से रनवीर सिंह के मकान होते हुये गोविन्द सिंह के मकान तक एवं लिंक गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	7.303
16	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो० इस्माइलगंज में श्रीदयाल के मकान से फकीरेलाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.294
17	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०नई बस्ती असगररोड में अनूप से चांद के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9.377
18	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०नबाव न्यामत खों में यू०लाईक टेलर्स से सुमित्रा महाजन वाया ओमप्रकाश डींगरा तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.522
19	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	मो०इस्माइलगंज में राकेश मुस्कीम के मकान से नबाव हुसैन यूनुस एवं शंकर मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.522
20	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०परि० फर्रुखाबाद	नई बस्ती असगररोड में अली मोहम्मद से बाबा सब्जी वाले तक एवं हसीन खों फौजी वाया शौकत चांद मिया व प्यारे मियाँ तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	18.673
21	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो०चौखण्डा में खिलाड़ी मास्टर साहब के घर से रामनाथ की पुलिया तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	10.522
22	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो०बजरिया में दिल्लू के चौराहे से चौमुखे महादेव मन्दिर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	22.244
23	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो०शेरवानी टोला में पुलिया से कोटला तिराहे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	12.227
24	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो०राजोटोला में नवी के मकान से चौराहे तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.166
25	फर्रुखाबाद	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० शमसाबाद	मो०राजोटोला में मस्जिद से महरोज के घर तक नाली एवं इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.691
	योग				( 212.51



49/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये—

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं प्रथम किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक